कुलदिप महातोन और अन्य

बनाम

भूलन महतो (मृत) उनके विधिक प्रतिनिधियों द्वारा तथा अन्य

30 नवंबर, 1994

[के. रामास्वामी और एन. वेंकटचाला, न्यायमूर्तिगण]

हिन्दू विधि - उत्तराधिकार

विधवा का जीवनकालीन अधिकार के रूप में संपत्ति प्राप्त करना हिंदू महिला संपत्ति अधिकार अधिनियम से पूर्व – उसकी मृत्यु के बाद उत्तराधिकार पूर्ववर्ती वारिसों के लिए खुलता है – गोद लिया गया पुत्र दावा करता है – अपीलीय न्यायालय उसकी व्याख्या पर विश्वास नहीं करता लेकिन यह मानता है कि उसने लंबी अवधि के उपयोग के द्वारा संपत्ति का शीर्षक प्राप्त किया – यह तय किया गया; सह-मालिक किसी अन्य सह-मालिक के विरुद्ध प्रतिकूल अधिकार का दावा नहीं कर सकता जब तक कि स्पष्ट दावा और शत्रुतापूर्ण शीर्षक का प्रमाण न हो – संपत्ति का विभाजन और मध्यकालीन लाभ – निर्देश जारी किए गए।

एम ने अपने पति बी से कुछ संपत्ति का उत्तराधिकार प्राप्त किया, केवल जीवनकाल के उपयोग के लिए सीमित अधिकार के रूप में। उसकी मृत्यु उस समय हो गई जब हिंदू महिला संपत्ति अधिकार अधिनियम, 1937 लागू नहीं हुआ था। उसकी मृत्यु के पश्चात उक्त संपत्ति का उत्तराधिकार पुनः पूर्ववर्ती वारिसों (रीवर्ज़नर्स) को खुल गया, अर्थात् पहले उत्तरदाता और अपीलकर्ता। वे संपत्ति के सह-मालिक बन गए। पहले उत्तरदाता ने दावा किया कि उसे एम ने छोटे होने पर गोद लिया था और वह बी का गोद लिया पुत्र होने के नाते संपत्ति पर अपने अधिकार के अनुसार कब्जा करने का हकदार है, तथा अपीलकर्ताओं को संपत्ति पर कब्जा करने का अधिकार नहीं था। विचारण न्यायलय ने मुकदमा पहले उत्तरदाता के पक्ष में सुनाया, लेकिन अपीलीय न्यायालय ने उसकी व्याख्या पर विश्वास नहीं किया। फिर भी, न्यायालय ने यह निष्कर्ष निकालते हुए उस मुकदमे को खारिज कर दिया कि पहले उत्तरदाता

ने लंबी अवधि के उपयोग के द्वारा संपत्ति पर शीर्षक प्राप्त कर लिया। उच्च न्यायालय ने दूसरी अपील को खारिज कर दिया। इसी कारण यह अपील दायर की गई।

इस अपील को स्वीकार करते हुए, यह न्यायालय

निर्णय: 1. यह मामला पहले उत्तरदाता का, जैसा कि अपीलीय न्यायालय ने पाया, यह नहीं है कि एम की मृत्यु के बाद जब पूर्ववर्ती वारिसों को उत्तराधिकार खुला, उसने अपीलकर्ता को संपत्ति के कब्जे से हटाया या उसने अपने शत्रुतापूर्ण शीर्षक का दावा पूर्ववर्ती वारिसों, अर्थात् अपीलकर्ताओं, की जानकारी में किया और उन्होंने उस अधिकार के प्रयोग को स्वीकार कर लिया। ऐसे दावे और प्रमाण की अनुपस्थिति में, आवश्यक पूर्वधारणा यह है कि सभी सह-मालिक संपत्ति के मालिक बने रहे और पहला उत्तरदाता सह-मालिक के रूप में मुकदमे की संपत्ति में बना रहा। यह स्थापित कानून है कि एक सह-मालिक दूसरे सह-मालिक के विरुद्ध प्रतिकूल अधिकार का दावा नहीं कर सकता जब तक कि स्पष्ट रूप से शत्रुतापूर्ण शीर्षक का दावा न किया गया हो और उस अधिकार के प्रयोग में कब्जा कायम किया गया हो, जिसका अपीलकर्ताओं को ज्ञान हो। ऐसे दावे और प्रमाण की अनुपस्थिति में, अपीलीय न्यायालय का यह निष्कर्ष कि पहला उत्तरदाता लंबी अवधि के उपयोग के द्वारा संपत्ति का शीर्षक प्राप्त कर गया, स्पष्ट रूप से अवैध है। प्रिस्क्रिप्शन स्पष्ट रूप से अवैध है। [222 एफ से एच]

2. अपीलकर्ताओं ने मालिकों के रूप में कब्जे का दावा किया। उनके पास उत्तराधिकारी होने के नाते याचिका में सूचीबद्ध संपत्तियों में अविभाजित आधे हिस्से का अधिकार है, जबकि पहले उत्तरदाता के पास संपत्ति में आधा हिस्सा था। इसलिए, न्यायालय के पहले, अपीलीय और उच्च न्यायालय के आदेश रद्द किए जाते हैं। इस मुकदमे को विभाजन के लिए दाखिल किया गया मुकदमा माना जाएगा। इस संबंध में एक प्रारंभिक निर्णय दिया जाएगा, जिसमें मुकदमे की तिथि से तीन वर्ष पूर्व तक का मध्यकालीन लाभ शामिल होगा। न्यायालय को निर्देश दिया जाता है कि अपीलकर्ताओं द्वारा इस संबंध में

आवेदन प्रस्तुत करने पर अंतिम निर्णय तैयार करे और मध्यकालीन लाभ की जांच करे। [223 ए, बी]

3. चूंकि उत्तरदाता संख्या 4 से 6 के कानूनी प्रतिनिधि अभिलेख में नहीं लाए गए, इसलिए उनके विरुद्ध अपील खारिज कर दी गई। चूंकि वे पहले उत्तरदाता से खरीदार हैं, इसलिए उनके लिए बेची गई संपत्ति अब उसके हिस्से में मानी जाएगी और इसे पहले उत्तरदाता के हिस्से में जोड़ा जाएगा। उसी प्रकार, अन्य प्रतिवादियों/उत्तरदाताओं को बेची गई संपत्तियाँ अपीलकर्ताओं पर बाध्यकारी नहीं हैं। उनके लिए बेची गई भूमि पहले उत्तरदाता के हिस्से से अधिक है। विचारण न्यायालय को खरीदारों के अधिकारों को आपस में न्यायसंगत ढंग से निर्धारित करना चाहिए और उनके उत्तरदायित्वों का निर्धारण अपीलकर्ताओं के प्रति करना चाहिए। अंतिम निर्णय बनाते समय और संपत्तियों का वितरण करते समय न्यायालय को संपत्ति की गुणवत्ता और मूल्य का ध्यान रखना चाहिए। अपीलकर्ताओं को मुआवजे का आदेश दिया जाना चाहिए। मध्यकालीन लाभ की जांच की जानी चाहिए और आवेदन की तिथि से एक वर्ष के भीतर उसके अनुसार अंतिम निर्णय पारित किया जाना चाहिए। [223 सी. डी.]

दीवानी अपीलीय क्षेत्राधिकार: 1984 की दीवानी अपील सं. 3246

पटना उच्च न्यायालय के निर्णय और आदेश दिनांक 3.8.1977 से, सिविल अपील संख्या 51 वर्ष 1975 में।

अपीलकर्ताओं की ओर से एस.के. बग्गा, श्रीमती एस. बग्गा और सीराज बग्गा

उत्तरदाताओं की ओर से बी.बी. सिंह और आर. पी. सिंह

न्यायालय का निम्नलिखित आदेश दिया गया था:

एक उपासी महतो सामान्य पूर्वज हैं। उनके चार पुत्र थे, जिनमें से मोहित महतो और चतुरी क्रमशः उनके प्रथम और तृतीय पुत्र हैं। फरगुडी और सुकान उनके पूर्व निधन हो गए और उन्होंने कोई वारिस नहीं छोड़ा। इसलिए उनकी वंशावली का प्रश्न उत्पन्न नहीं होता।

मोहित महतो के दो पुत्र थे, बिगु और बिहारी, जिनमें बिगु का निधन हो गया। बिगु की पत्नी श्रीमती मुनिया हैं। चतुरी के दो पुत्र थे, डेनी महतो और रघुवीर। प्रथम उत्तरदाता भूटान, डेनी महतो का पुत्र है। रघुवीर के बच्चे याचिकाकर्ता/अपीलकर्ता हैं। अपीलकर्ताओं ने भूटान और उसके हस्तांतरणकर्ताओं के विरुद्ध मुकदमा दायर किया, जिसमें उनके पिता रघुवीर महतो से विरासत में मिली संपत्ति का अधिकार और कब्जा माँगा गया, अथवा विकल्प के रूप में मुनिया की मृत्यु के पश्चात उनकी भूमि को उत्तराधिकारी के रूप में प्राप्त करने का दावा किया। प्रथम उत्तरदाता भूटान का कहना है कि वह जब छोटा था तब उसे बिगु की विधवा मुनिया ने गोद लिया और वह बिगु का गोद लिया हुआ पुत्र होने के नाते संपत्ति पर अपने अधिकार के साथ कब्जा रखने का हकदार था। इसलिए, अपीलकर्ताओं को कब्जा का अधिकार नहीं है। यद्यपि न्यायालय ने मुकदमे को मान्यता दी, अपीलीय न्यायालय ने भूटान के कथन को अस्वीकार करते हुए यह पाया कि वह मुनिया का गोद लिया हुआ पुत्र नहीं है और अपीलकर्ताओं को उत्तराधिकारी के रूप में संपत्ति मिलेगी। किंतु न्यायालय ने यह निष्कर्ष निकाला कि भूटान ने संपत्ति का शीर्षक दावे के वर्षों तक कब्जे के आधार पर प्राप्त कर लिया था। इसलिए, अपीलकर्ताओं को कब्जा का अधिकार नहीं है। दूसरी अपील संख्या 51/75 को पटना उच्च न्यायालय ने 3 अगस्त 1977 को प्रारंभिक स्तर पर खारिज कर दिया। अतः यह अपील विशेष अनुमति द्वारा की गई है।

निर्णय और वंशावली से स्पष्ट और विवादरहित तथ्य यह हैं कि मुनिया ने बिगु की संपत्ति को सीमित स्वामित्व में अपने जीवनकाल के उपयोग के लिए विरासत में प्राप्त किया। स्वीकृत है कि उनकी मृत्यु 1932 में हुई, जो कि हिन्दू महिला संपत्ति अधिकार अधिनियम, 1937 के लागू होने से पहले था। उनकी मृत्यु के पश्चात, बिगु द्वारा धारण की गई संपत्ति का उत्तराधिकार उत्तराधिकारियों, अर्थात् प्रथम उत्तरदाता और अपीलकर्ताओं के बीच खुल गया। इस प्रकार, वे मुनिया द्वारा छोड़ी गई संपत्ति के सह-स्वामी बन गए। अपीलीय न्यायालय द्वारा पाया गया कि भूटान का यह नहीं कहना है कि मुनिया की मृत्यु के पश्चात उत्तराधिकार

खुलने के बाद उसने अपीलकर्ताओं को भूमि से बेदखल किया या उसने अपने शत्रुतापूर्ण अधिकार का दावा किया और अपीलकर्ताओं ने उस अधिकार के प्रयोग पर सहमति दी। ऐसी दलील और प्रमाण की अनुपस्थिति में, आवश्यक पूर्वधारणा यह है कि सभी सह-स्वामी संपत्ति के स्वामी बने रहे और भूटान सह-स्वामी के रूप में मुकदमे की संपत्ति में कब्जे में रहा। यह स्थापित कानून है कि एक सह-स्वामी दूसरे सह-स्वामी के विरुद्ध प्रतिकूल कब्जे का दावा नहीं कर सकता जब तक कि, जैसा कि पहले कहा गया, स्पष्ट दलील और शत्रुतापूर्ण अधिकार का प्रमाण प्रस्तुत न किया गया हो और अपीलकर्ताओं के ज्ञान में उस अधिकार के प्रयोग में कब्जा बना न रखा गया हो। ऐसी दलील और प्रमाण की अनुपस्थिति में, अपीलीय न्यायालय का यह निष्कर्ष कि भूटान ने कब्जे के वर्षों के आधार पर संपत्ति का अधिकार प्राप्त किया, स्पष्ट रूप से अवैध है।

चूँकि प्रतिकूल कब्जे के संबंध में दिया गया निष्कर्ष संधार्य नहीं है, इसलिए प्रश्न यह है कि वाद में क्या अनुतोष प्रदान की जा सकती है। अपीलकर्ताओं ने स्वामियों के रूप में कब्जे का दावा किया था। उपर्युक्त निष्कर्ष के आलोक में, वादपत्र अनुसूची की संपत्तियों में अविभाजित आधे हिस्से के लिए बिगु के प्रत्यावर्तनीय उत्तराधिकारी के रूप में उनका स्वत्व है, जबकि भूलन का संपत्ति में आधा हिस्सा था। अतः, विचारण न्यायालय, अपीलीय न्यायालय तथा उच्च न्यायालय की डिक्री निरस्त की जाती है। इस वाद को विभाजन के वाद के रूप में माना जाएगा। इस संबंध में वाद दायर किए जाने की तिथि से पूर्व के तीन वर्षों के मध्यवर्ती लाभों सहित एक प्रारंभिक डिक्री पारित की जाएगी। विचारण न्यायालय को निर्देश दिया जाता है कि इस संबंध में अपीलकर्ताओं द्वारा किए जाने वाले आवेदन पर अंतिम डिक्री तैयार करे तथा मध्यवर्ती लाभों के संबंध में जांच की जाए। इस अपील के लंबित रहने के दौरान, उत्तरदाता संख्या 4 से 6 की मृत्यु हो गई। इस न्यायालय के दिनांक 11 फरवरी, 1991 के आदेश द्वारा, चूँकि उत्तरदाता संख्या 4 से 6 के विधिक प्रतिनिधियों को अभिलेख पर नहीं लाया गया, अतः उनके विरुद्ध अपील खारिज मानी गई। चूँकि वे प्रथम उत्तरदाता से

क्रेता हैं, इसलिए उन्हें विक्रय की गई संपत्ति अब उसके हिस्से में आबंटित मानी जाएगी तथा प्रथम उत्तरदाता के हिस्से में गणना की जाएगी। इसी प्रकार, अन्य प्रतिवादियों/उत्तरदाताओं को विक्रय की गई भूमि अपीलकर्ताओं पर बाध्यकारी नहीं है। उन्हें विक्रय की गई भूमि भूलन के हिस्से से अधिक है। विचारण न्यायालय को क्रेताओं के अधिकारों का उनके मध्य न्यायोचित रूप से निर्धारण करना चाहिए तथा अपीलकर्ताओं के प्रति उनकी देयताओं का निर्धारण करना चाहिए। अंतिम डिक्री तैयार करते समय तथा संपत्तियों का आबंटन करते समय न्यायालय को संपत्ति की गुणवत्ता तथा मूल्य को ध्यान में रखना चाहिए। अपीलकर्ताओं को प्रतिकर के भुगतान की डिक्री पारित की जाए। मध्यवर्ती लाभों के संबंध में जांच की जाए तथा आवेदन किए जाने की तिथि से एक वर्ष के भीतर तदनुसार अंतिम डिक्री पारित की जाए। तदनुसार अपील स्वीकार की जाती है। पक्षकारों को निर्देश दिया जाता है कि वे सम्पूर्ण कार्यवाही में अपना-अपना व्यय स्वयं वहन करें।

अपील स्वीकार की जाती है।

जी.एन.

खंडन (डिस्क्लेमर)- स्थानीय भाषा में निर्णय के अनुवाद का आशय, पक्षकारों को इसे अपनी भाषा में समझने के उपयोग तक ही सीमित है और अन्य प्रयोजनार्थ इसका उपयोग नहीं किया जा सकता। समस्त व्यवहारिक, कार्यालयी, न्यायिक एवं सरकारी प्रयोजनार्थ, निर्णय का अंग्रेजी संस्करण ही प्रमाणिक होगा साथ ही निष्पादन तथा कार्यान्वयन के प्रयोजनार्थ अनुमान्य होगा।